

3.	2400/-रु. तक के ग्रेड वेतन में कर्मचारी के लड़कों हेतु प्रतिमाह 3000/-रु. की दर से उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति ।	2400/-रु. तक के ग्रेड वेतन में दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लड़कों के लिए छात्रवृत्ति, जो तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा/डिग्री (स्नातक/स्नातकोत्तर) कर रहे हों ।
4.	4800/-रु. तक के ग्रेड वेतन वाले कर्मचारी के लिए परेशानी और रोग इत्यादि में राहत ।	दुर्घटना के मामले में दि.वि.प्रा. कर्मचारियों को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन कर्मचारियों के मामले में जो लम्बे समय से बीमार हैं और/अथवा लम्बे समय से अस्पताल में दाखिल हैं और उनके खाते में किसी प्रकार की छुट्टी अथवा अस्पताल छुट्टी न होने के कारण बिना वेतन छुट्टी पर हैं ।

इस विशेष अनुरोध के लिए यथा लागू निर्धारित प्रारूप में आवेदन—पत्र (4 प्रोफार्मा) स्वीकार किए जाएं ।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन—पत्रों को उपनिदेशक, (आई आर एवं एस डब्ल्यू), कमरा नं. बी—13, भूतल, विकास सदन, नई दिल्ली कार्यालय में 15.11.2017 से 15.12.2017 तक जमा करा सकते हैं ।

आवेदन—पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन—पत्रों की जांच कल्याण विभाग, दि.वि.प्रा. द्वारा की जाएगी और उसे सारणीबद्ध किया जाएगा । इसके बाद, एस.बी.एफ. का शासी निकाय लाभार्थियों को निर्णय करने के लिए बैठक का आयोजन करेगा । उस स्थिति में, यदि सभी लाभार्थियों को अपर्याप्त निधि के कारण लाभ नहीं मिल पाता, तो आवेदकों को उस शीर्ष/गतिविधि के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें निम्न ग्रेड वेतन वाले स्टाफ को प्राथमिकता दी जाएगी और उनमें से भी स्टाफ की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

संलग्नक : उपरोक्त उल्लिखित अनुसार ।

कुसुम सूरी
(कुसुम सूरी)
उप निदेशक (आई.आर. एवं एस.डब्ल्यू.)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्य अधिकारी को उपाध्यक्ष महोदय, दि.वि.प्रा. के सूचनार्थ ।
2. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक एवं प्रणाली), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, आवास एवं सी.डब्ल्यू.जी.), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
6. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
7. आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा., विकास मीनार के निजी सचिव ।
8. आयुक्त (भूमि निपटान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
9. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
10. मुख्य सतर्कता अधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।